<u>आवेदन लिखने का नमूना:</u>

तारीख

प्रति,
विभाग/अधिकारियों का पदनाम,
विभाग का पता

विषय - केवल एक पंक्ति में

समस्या विवरण - समस्या का पूरा विवरण लिखें। कहाँ, क्या और कौन-कौन प्रभावित है और कैसे? (गाँव का नाम, प्रभावित लोगों/समूह का नाम, यदि संभव हो तो...)

संविधान/कानून का संदर्भ- किन मूल्यों, अधिकारों (मौलिक अधिकार एवं राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व), कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, कैसे, ये बताएं। जहां तक संभव हो, उस प्रासंगिक कानून, नियम या आदेश का हवाला दें जिसका उल्लंघन किया जा रहा है (यदि संभव हो तो उस कानून की एक प्रति संलग्न करें)

मांग - अपनी मांग स्पष्ट रूप से बताएं और आप अधिकारियों से क्या कदम उठाने की उम्मीद करते हैं। यह भी बताएं कि आप कितने दिनों में समाधान की उम्मीद करते हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर और नाम - आवेदन लिखने वालों के नाम का उल्लेख करें। यदि यह संगठन के माध्यम से है तो संगठन का नाम बताएं।

साक्ष्य - साक्ष्य संलग्न करें - उदाहरण- फोटो, वीडियो, प्रासंगिक कानून, आदेश, अदालत के फैसले आदि।

उदहारण

दिनांक: **30/09/2017**

प्रति,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गुमला

विषय: राशन कम वजन के वितरण के सम्बन्ध में

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है की सोनमेर गाओं, पंचायत प्रखंड बसिया में सोनमेर में राशन कार्ड धारी सभी परिवार के प्रति 5 kg चावल का भागीदारी होना चाहिए। लेकिन हमें प्रति व्यक्ति केवल 4.5 kg चावल ही मिलता है।और हमें पैसा पूरे 5 किलो का देना होता है। झारखण्ड सरकार की झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रलाणी आदेश, 2016 के अध्याय 11, भाग ३(V) के अनुसार पात्रता परिवार के प्रतेयक व्यक्ति को 5 किलो राशन हर महीने मिलना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के हमारे अधिकार का गंभीर उल्लंघन हो रहा है यह राष्ट्रीय खादान सुरक्षा अधिनियम, 2013 के धारा 10 का भी उल्लंघन है।

28/08/2017 को पदाधिकार प्रखंड बसिया को यह आवेदन दिया गया था। इसके आलावा, पन्था पंचायत मुखिया को भी इस आवेदन की एक प्रतिलिपि दी गई थी। इस आवेदन के माध्यम से इस मुद्दे पे एक महीने के अंदर कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। एक महीना पूरा होने के बाद भी इस मुद्दे पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मुखिया और पदाधिकारी को दिए गए आवेदन की प्रतिलिपि इस आवेदन के साथ संलग्न हैं।कानूनी तौर पे इनका निवारण 30 दिन के अंदर होना चाहिए।

राज्य सरकार से यह विनती है की आवश्यक कार्यवाही की जाए।राशन वितरण का काम सोनमेर ग्राम में मोनिका सहायता समूह ने लिया हुआ है।आपसे निवेदन है की हमारी इस शिकायत का जल्द से जल्द निवारण किया जाए।

आपके विश्वासी

सोनमेर ग्राम संगठन